कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत पवन कुमार अग्रवाल, व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानांतरण राउमावि. बालोतरा, बाड़मेर से राउमावि, अदेल, सिंदरी, बाडमेंर किया गया। इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध पवन कुमार अग्रवाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 16916/2019 पवन कुमार अग्रवाल बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 16916/2019 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक: 09.12.2019 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने के निर्देश प्रदान किए। माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी पवन कुमार अग्रवाल द्वारा स्वयं के लकवाग्रस्त होने एवं स्थानान्तरण 110 किलोमीटर दूर हो जाने के आधार पर राउमावि, पचपदरा नगर, बाड़मेर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी का पूर्व में भी याचिका संख्या 15064/2019 पवन कुमार अग्रवाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.19 की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/सी–1/अभ्यावेदन/पवन कुमार अग्रवाल/को.के./19–20 दिनांक 01.11.2019 द्वारा खारिज कर निस्तारित किया जा चुका है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। चूंकि याचिकार्थी पहले से ही अपने गृह जिले में ही पदस्थापित है और याचिकार्थी द्वारा दिनांक 11.11.19 को अपने स्थानान्तरित विद्यालय राउमावि, आडेल, बाड़मेर में कार्यग्रहण किया जा चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी–1/अभ्यावेदन/पवन कुमार अग्रवाल/को.के/19–20 दिनांक:– 20.12.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, बाड़मेर।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि, अदेल, सिंदरी, बाडमेर।
9. कार्मिक पवन कुमार अग्रवाल, व्या0 रसायन विज्ञान राउमावि, अदेल, सिंदरी, बाडमेर।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

e:\c-4 letter file 21-08-19\court case cbh 2019\k-k transfer parivedna.docx